फोन / फैक्स-0135-2431159, कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती। पत्रांक - [हर / [र-] दिनांक, मुनिकीरेती २५ / ०२

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोड़ल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भडवाडी मे हिना-गाँव सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.606 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/Road/25918/2017).

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी का पत्रांक-383 / 12-1, दिनांक 21-7-2020 । महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई ऑनलाईन आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी ,उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा उपरोक्त संदर्भित से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है।

क्र.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	As per DSS analysis KML file of 4.10 ha found uploaded instead of 5.12 ha, State Govt. may review the same and upload the correct KML file.	As per user agency KML File has been corrected and uploaded at designated place.
2	Sol Toposheet of proposed road, CA site suitability, bar chart, justification, FRA, aerial distance certificate, muck disposal plan, adminstrative approval and benefited village certificate is not found submitted in hard copy. State Govt. may submit the aforesaid documents in original.	उक्त प्रपत्रों को इस कार्यालय पत्रांक—644/12— दिनांक 27.08.2018 के द्वारा आपके कार्यालय क प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।
3	Administrative approval, land schedule, muck disposal plan, geologist report, aerial distance certificate and work not start certificate not found uploaded. state Govt. may upload the aforesaid documents at their designated place.	As per user agency all required docouments have been uploaded as Additional information details in Part-I.
4	Non-forest land details not found filled in Part-I. State Govt. may fill the details of non forest land at designated place.	मार्ग के समरेखण में सिविल सोयम भूमि – 0 018 है0, आरक्षित वन भूमि– 2.588 है0 तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.540 है0 कुल 2.606 है0 भूमि की आवश्यकता है। Non Forest भूमि मार्ग के समरेखण में नहीं पड़ती है।
5	Instead of alternative alignment at para-D2(a) in para-I, FRA found uploaded. State Govt. may upload the alternative alignment para -D2(a).	Alternative alignment has been uploaded at para -D2(a) in part-I.
6	Area mentioned in CA site suitability is 4.132 ha insted of double of that area. Area mentioned at para-L-iv(f) and (h) also found incorrect. State Govt. may review the same and summit correct information.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु खसरा सं0—181, 892, 946 चिन्हित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6.542 है0, जो कि आवश्यक क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दोगुने क्षेत्रफल से अधिक है।
7	DFO mentioned in his SIR that the area falls in	मुख्य सचिव/अध्यक्ष भागीरथी इको-सेन्सटिव

1		submit the comments of monitoring committee in this regard.	सम्पन्न मोनेटिरंग समिति की बैठक में निम्न निर्णय लिया गया "मागीरथी इको-सेन्सटिय जोन की अधि सूचना में जिन गतिविधियों को
			Regulated category में सम्मिलित किया गया है। उनसे सम्बन्धित तथा भागीरथी इको-सेन्सिटिव जोन सम्बन्धी मारत सरकार को प्रेषित जोनल मास्टर प्लान में समाविष्ट योजनाओं के सम्बन्ध में मोनेटरिंग कमेटी से औपचारिक अनुमादेन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी'' बैठक का कार्य वृत्त पार्ट-। के Additional information details में अपलोड कर दिया गया है।
	8	State Government may submit the hard copy of the above mentioned points.	प्रस्ताव की हार्ड कॉपी तीन प्रतियां में इस कार्यालय के पत्रांक-341/12-1(2) दि0 29/08/2018 द्वारा नोंडल अधिकारी, इन्दिरानगर , फोरेस्ट कालोनी देहरादून को पूर्व में ही प्राप्त कराये जा चुके है। प्राप्ति रशीद को पार्ट-। के Additional information details में अपलोड़ कर दिया गया है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

(एन० एन० पापडेंस)

विन संस्थिक

संख्या – / , उक्तदिनांकित। प्रतिलिपि - प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (एन० एन० पाण्डेय) वन संरक्षक